दैनिक जागरण

# मानक विहीन रेस्टोरेंट और कोचिंग सेंटर सील

उन्नाव। डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर यूएसडीए के सचिव शुभम सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर भेजकर भवन को सील कर दिया। सचिव के मुताबिक, भवनों का निर्माण प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृति कराए ही कराया गया। बताया कि दोनों भवनों के बेसमेंट में बिना नक्शा पास कराए व्यवसाय किया जा रहा था। जो मानक के विपरीत था। जिस पर कार्रवाई तय की गई। बताया कि आगे भी अभियान जारी रहेगा। (संवाद)

दैनिक हिन्दुस्तान

# मानकविहीन रेस्टोरेंट व कोचिंग सेंटर किए सील

उन्नाव। प्रवर्तन जोन-1 में बेसमेंट में संचालित कोचिंग और मिस्टर कैफे फैमिली रेस्टोरेंट करौवन रोड शेखपुर को सील किया गया। उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के सहायक, अवर अभियंताओं की टीम ने पुलिस बल के साथ दोनों भवनों को सील किया।

गुरुवार को डीएम व उपाध्यक्ष गौरांग राठी के निर्देश पर प्राधिकरण सचिव शुभम सिंह ने यूएसडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजकर कार्रवाई के बाद दोनों भवनों सील करने करने बाद पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया। भवनों का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति कराए किया गया। सचिव ने बताया कि दोनों भवनों के बेसमेंट में बिना नक्शा पास कराए व्यवसाय किया जा रहा था। बताया कि जो भी भवन मानक के विपरीत जाकर ऐसा कर रहे है वह भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

दैनिक आज 25-10-24

# बिना नक्शा संचालित दो भवनों को यूएसडीए ने किया सील

## करोवन रोड स्थित बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर सहित एक अन्य पर की कार्यवाही

भवन को सीज करते यूएसडीए अधिकारी

(आज समाचार सेवा)

उन्नाव 24 अक्टूबर। यूएसडीए द्वारा अवैध तरीके से किये गये भवन निमार्ण के स्वामियो पर कार्रवाही को लेकर अभियान चला रही है। इसी क्रम में गुरूवार को प्राधिकरण सचिव शुभम सिंह के पर्यवेक्षण में प्रवर्तन जोन.1 के अन्तर्गत अनाधिकृत बेसमेन्ट में संचालित कोचिंग सिग्मा क्लासेस करोवन रोड शेखपुर एवं अनाधिकृत बेसमेन्ट में संचालित मिस्टर कैफे फैमिली रेस्टोरेन्ट को प्राधिकरण के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पुलिस बल की उपस्थिति में सील किया गया। प्राधिकरण सचिव शुभम सिंह ने कहा कि प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये अन्यथा अवैध निर्माणों के विरूद्ध कार्रवाही की जायेगी। सीलिंग की कार्यवाही में प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता अवर अभियन्ता [illegible] प्राधिकरण प्रवर्तन स्टाफ उपस्थि[illegible]

दैनिक जागरण 25-10-24

# मानकविहीन रेस्टोरेंट और कोचिंग सेंटर किया सील

करोवन मोड़ के पास बेसमेंट में संचालित कैफे व रेस्टोरेंट को पुलिस के साथ सील करने की कार्यवाही करते यूएसडीए के अधिकारी● कर्मचारी

**जासं, उन्नाव:** उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल के साथ जाकर गुरुवार को दो भवनों पर सील करने की कार्यवाही की। जिसमें प्रवर्तन जोन-एक के अंतर्गत अनाधिकृत बेसमेंट में संचालित कोचिंग सिग्मा क्लासेस और मिस्टर कैफे फैमिली रेस्टोरेंट करोवन रोड शेखपुर को सील किए जाने की जानकारी प्राधिकरण के अधिकारियों ने दी।

भवनों का निर्माण प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही किया गया था। यूएसडीए सचिव शुभम सिंह ने बताया कि दोनों भवनों के बेसमेंट में बिना नक्शा पास कराए व्यवसाय किया जा रहा था। जो मानक के विपरीत था।

जिस पर कार्रवाई तय की गई। बताया कि आगे भी अभियान का सिलसिला जारी रहेगा, जो भी भवन मानक के विपरीत जाकर ऐसा कर रहे है वह भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। इसलिए कार्रवाई से पहले नक्शा व दूसरे सभी मानक पूरा करा लें। डीएम व उपाध्यक्ष यूएसडीए गौरांग राठी के निर्देश पर सचिव शुभम ने यूएसडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर भेजकर भवन को सील कराते दोनों भवनों को पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया है।